बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज कराने पर गोपालगंज जिला की सुश्री मुन्नी कुमारी को वर्ष 2018 के मैट्रिक परीक्षा का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि का भुगतान हुआ

सुश्री मुन्नी कुमारी, पिता-श्री बृज किशोर सिंह, ग्राम-बालाहाता, थाना-उचकागांव, जिला-गोपालगंज ने वर्ष 2018 में बालिका उच्च विद्यालय, रघुआ जमसड़, गोपालगंज से मैट्रिक की परीक्षा में उतीर्णता हासिल किया था। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि का भुगतान नहीं होने पर उनके द्वारा दिनांक-20.07.2021 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराया गया।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज ने इस पर तुरन्त संज्ञान लेते हुए लोक प्राधिकार- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), गोपालगंज को परिवाद का निवारण करने का निदेश दिया।

दिनांक-14.09.2021 को सुनवाई में लोक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सुश्री मुन्नी कुमारी को वर्ष 2018 में मैट्रिक परीक्षा में उतीर्णता का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि 10,000/- (दस हजार) रुपये का भुगतान बैंक खाता में कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी इस पर सहमति जतायी गयी और लोक शिकायत निवारण कानून की बदौलत काफी कम समय में प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल जाने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था का आभार प्रगट किया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज कर समाधान पाना बहुत ही आसान है

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं